BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 20 फरवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर आत्महत्या के लिए उकसाने के 02 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- राजेन्द्र पुत्र रामस्वरुप, 2- दयावती पत्नी राजेन्द्र निवासीगण नयाबास थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में अपनी पुत्रवधू के साथ मारपीट कर उत्पीडन करना जिससे परेशान होकर इनरी पुत्रवधू द्वारा आत्महत्या कर ली गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 04.01.2021 को थाना स्याना पर मुअसं-07/21 धारा-306 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 21.10.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तगण के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित कराये गये। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 20.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-15, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने परअभियुक्त राजेन्द्र व अभियुक्ता दयावती को 07-07 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र सिंह लोधी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर